संख्या: 2/2015/287/61-2015.

प्रेषक,

रमाकान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ:दिनांक: 30 मार्च, 2015.

विषय: लोक सभा/विधान सभा सामान्य निर्वाचन हेतु मानदेय की स्वीकृत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 284/61-2010 दिनांक 20 मार्च, 2010 के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में निर्वाचन कार्य से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अधिकारियों / कर्मचारियों को उनके द्वारा लोक सभा/विधान सभा सामान्य निर्वाचन के सिलसिले में श्रमसाध्य एवं दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए वित्तीय नियम संग्रह भाग-2 के मूल नियम 46(बी) के अन्तर्गत मानदेय दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है । तत्क्रम में श्री राज्यपाल महोदय मण्डलायुक्तगण को भी 01 माह के मूल वेतन (वेतन बैण्ड में अनुमन्य वेतन + ग्रेड वेतन) से अनधिक धनराशि मानदेय के रूप मे दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2- शासनादेश संख्या: 284/61-2010 दिनांक 20 मार्च, 2010 इस सीमा तक संशोधित/ परिवर्धित समझा जाय।

3- उक्त शासनादेश की शेष प्रतिबन्ध एवं शर्ते यथावत् लागू रहेगी।

4- लोक सभा सामान्य निर्वाचन हेतु मानदेय के संबंध में होने वाला व्यय निर्वाचन विभाग की अनुदान सं0-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2015-निर्वाचन आयोजनेत्तर -105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03-सामान्य निर्वाचन-07-मानदेय तथा विधान सभा सामान्य निर्वाचन हेतु मानदेय के संबंध में होने वाला व्यय निर्वाचन विभाग की अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2015-निर्वाचन आयोजनेत्तर-106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03- सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा-07-मानदेय " मद द्वारा वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12- 475 /दस-2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,
(रमाकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:2/2015/287(1)/61-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
(4) समस्त मण्डलायुक्तगण, उत्तर प्रदेश ।
(5) पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0, लखनऊ ।
(6) समस्त आई0जी0 जोन/डी0आई0जी0 जोन, उत्तर पद्रेश।
(7) समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 ।
(8) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12.
(12) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
(13) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(14) गार्डबुक।

आज्ञा से,

(रमाकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in